



33700 - क्या क़र्ज़ का भुगतान करने पर शादी को प्राथमिकता देगा

प्रश्न

यदि किसी व्यक्ति पर ऋण के रूप में दूसरे का हक़ हो। और वर्तमान समय में उसकी क्षमता लोगों के हुकूक़ को वापस लौटाने की अनुमति न देती है, जबकि उसकी इच्छा सक्षम होने पर उन हुकूक़ को लौटाने की है। ज्ञात रह कि उन अधिकारों (ऋण) के मालिक उसके साथ उसी शहर में उपस्थित नहीं हैं। अगर वह उदाहरण के तौर पर कुछ धन प्राप्त करता है और वह अपने ऊपर फ़िल्ने से डर रहा है और शादी करना चाहता है। तो क्या वह पहले शादी करेगा या लोगों के हुकूक़ वापिस करेगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

लोगों के हुकूक़ जैसे ऋण आदि को लौटाने को शादी पर प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, यदि ऋण दाता उसे अपने ऋण का भुगतान करने से पहले शादी करने की अनुमति प्रदान कर दें, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए यह जायज़ है।

रही बात उसके अपने ऊपर फ़िल्ने से डरने की, तो उसे चाहिए कि अपने नफ़्स की सुरक्षा के लिए वह रोज़ा रखे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है :

“ऐ नवजवानों की जमाअत ! तुम में से जो शादी करने की ताक़त रखता है वह शादी करे। क्योंकि यह शरमगाह की सबसे अधिक हिफाज़त करने वाली और निगाहों को अधिक नीचे रखने वाली है, और जो व्यक्ति इसकी ताक़त न रखे तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि यह उसकी कामवासना को दबाने वाला है।” सहीह बुखारी व सहीहमुस्लिम।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला है।